



परिपत्र / CIRCULAR

सेबी/एच.ओ./जी.एस.डी./टी.ए.डी./सीआईआर/पी/2022/0097  
SEBI/HO/GSD/TAD/CIR/P/2022/0097

जुलाई 18, 2022  
July 18, 2022

प्रति / To,

बाजार की सभी बुनियादी संस्थाएँ (एम.आई.आई.)

All Market Infrastructure Institutions

सेबी के यहाँ रजिस्टर सभी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज़)

All intermediaries registered with SEBI

वे सभी कंपनियाँ जो अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्ट) करवा चुकी हों / करवाना चाहती हों

All Companies who have listed / are intending to list their securities in stock exchanges

महोदय / महोदया,

Dear Sirs / Madam,

**विषय: सेबी को अदा की जाने वाली फीस पर जी.एस.टी. लगाए जाने के संबंध में**

**Sub: Levy of Goods & Services Tax (GST) on the fees payable to SEBI**

1. जी.एस.टी. परिषद ने 28 जून, 2022 और 29 जून, 2022 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश भी की है कि सेबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में दी गई छूट वापस ले ली जाए, और जिसे तारीख 13 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 4/2022 के माध्यम से अधिसूचित भी कर दिया गया है।
1. The GST Council in its meeting held on June 28 and June 29, 2022, recommended *inter alia* to withdraw the exemption granted to services by SEBI and the same has been notified vide Notification No.4/2022 dated 13th July, 2022.
2. तदनुसार, बाजार की सभी बुनियादी संस्थाओं (एम.आई.आई.) को, उन कंपनियों को जो अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवा चुकी हों / करवाना चाहती हों, अन्य मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) को और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में लेनदेन करने वाले व्यक्तियों को इस परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि सेबी को
2. Accordingly, all the Market Infrastructure Institutions, Companies who have listed / are intending list their securities, other intermediaries and persons who are dealing in the securities market, are hereby informed that the fees and



**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**  
**Securities and Exchange Board of India**

अदा की जाने वाली फीस और अन्य शुल्क आदि पर 18 जुलाई, 2022 से 18% की दर से जी.एस.टी. लगेगा।

other charges payable to SEBI shall be subject to GST at the rate of 18% with effect from July 18, 2022.

भवदीय / Yours faithfully,

अमोल आर. होगाडे Amol R Hogade  
उप महाप्रबंधक Dy General Manager  
कोष एवं लेखा प्रभाग Treasury & Accounts Division  
सामान्य सेवा विभाग General Services Department  
दूरभाष / Tel No.: 022 26449652  
ईमेल / Email: [amolrh@sebi.gov.in](mailto:amolrh@sebi.gov.in)